

फर्द अहकाम

(नियम-26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

संजय बैनीवाल पिता सुभाष चन्द्र बैनीवाल 6 सदर, हनुमानगढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 114/2025 (RTI)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.12.25	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलान्ट संजय बैनीवाल पिता सुभाष चन्द्र बैनीवाल 6 सदर, हनुमानगढ़ ने सूचना प्राप्त हेतु एक आवेदन दिनांक 18.09.2025 को लोक सूचना अधिकारी, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर के यहां प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है।</p> <p>यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। लोक सूचना अधिकारी, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं।</p>	



.....लगातार

चूंकि लोक सूचना अधिकारी, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिससे प्रस्तुत अपील पर सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता इस कार्यालय को प्रदत्त नहीं है जिससे हस्तगत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई नहीं की जा सकती है। अतः अपीलार्थी को संबंधित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को निः शुल्क प्रेषित की जावे।

